"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2003—श्रावण 8, शक 1925

शिक्षा (तकनीकी शिक्षा) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2003

अधिसूचना

विषय :—छत्तीसगढ़ इंजीनियरी महाविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2003 में संशोधन बाबत.

क्रमांक/एफ-1-19/2003/42.—यत: राज्य शासन के शिक्षा (तकनीकी शिक्षा) विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2003 द्वारा छत्तीसगढ़ इंजीनियरी महाविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2003 जारी किये गये हैं.

और यत: इन नियमों की कंडिका 2.5 एवं 2.11.1 में प्रवेश हेतु बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के लिये आयोजित परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं गणित विषयों में सम्मिलित रूप से पचास प्रतिशत से अन्यून सकल अंक प्राप्त करने की न्यूनतम अर्हता का उपबंध हैं.

और यत: यह निजी विश्वविद्यालयों की ओर से यह आशंका व्यक्त की गई कि वर्ष 2003 में राज्य में अवस्थित कतिपय इंजीनियरी महाविद्यालयों में उक्त निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अभ्यर्थियों के अभाव में यदि स्थान रिक्त रह जाने की स्थिति में ऐसे रिक्त स्थानों को भरे जाने के लिए उपबंध किया जाना समीचीन है.

अतएव यदि वर्ष 2003 में राज्य में अवस्थित कतिपय इंजीनियरी महाविद्यालयों में उक्त निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अभ्यर्थियों के अभाव में यदि स्थान रिक्त रह जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में इन रिक्त स्थानों को भरा जाना जनहित में समीचीन होने का समाधान होने के कारण राज्य शासन एतद्द्वारा ऐसे स्थानों को भरे जाने के लिए उपरोक्त अधिसूचना में यह आंशिक संशोधन करता है कि उक्त विषयों में 50 प्रतिशत की न्यूनतम अर्हता के उपबंध को 45 प्रतिशत की सीमा तक शिथिल किया जा सकेगा बशर्ते कि 50 प्रतिशत का कोई अर्हताधारी अभ्यर्थी प्रवेश हेतु शेष न रहे.

परंतु यह भी कि इस संशोधन का अनुसूचित जाति व छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश के संबंध में पूर्वानुसार ऐसी न्यूनतम सीमा से छूट यथावत् रहेगी, तथा यह भी कि प्रवेश प्रावीण्यक्रम से ही दिया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.